



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 578]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 2015/फाल्गुन 25, 1936

No. 578]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 16, 2015/PHALGUNA 25, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2015

**का.आ. 768(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्ड/स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क का संग्रहण) नियम, 1997 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 412(अ), तारीख 06 फरवरी, 2009 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—  
उक्त अधिसूचना में, अनुसूची के नीचे

विद्यमान पैरा के स्थान पर	निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा
i) रियायतग्राही उक्त खण्ड के उपयोग के लिए नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट यांत्रिक यानों के प्रवर्ग पर फीस उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट आधार फीस की दर पर संग्रहीत और प्रतिधारित करेगा।	i) रियायतग्राही उक्त खण्ड के उपयोग के लिए नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट यांत्रिक यानों के प्रवर्ग पर 55.74 कि.मी. लम्बाई के लिए फीस उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट आधार फीस की दर पर संग्रहीत और प्रतिधारित करेगा।
ii) फीस पथकर 114.087 कि.मी. पर प्लाजा पर संग्रहीत की जाएगी।	ii) 55.74 कि.मी. लम्बाई के लिए फीस 114.087 कि.मी. पर स्थित पथकर प्लाजा पर संग्रहीत की जाएगी।
टिप्पण (8) रियायतग्राही, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से कम-से-कम दस दिन पहले इस अधिसूचना का सार कम-से-कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में (जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा) प्रकाशित करेगा, जिसमें इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख का भी उल्लेख होगा और ऐसा सार, इस अधिसूचना के अनुसार पुनरीक्षित फीस को प्रभावी करने के लिए 10 दिन पहले भी पुनः प्रकाशित किया जाएगा।	टिप्पण (8) रियायतग्राही, जैसा कि रियायत करार में व्यवस्था की गई है, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से कम-से-कम दस दिन पहले इस अधिसूचना का सार तथा बारम्बार एवं स्थानीय समाचार पत्रों (जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा) में प्रकाशित करेगा, जिसमें इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख का भी उल्लेख होगा और ऐसा सार, इस अधिसूचना के अनुसार पुनरीक्षित फीस को प्रभावी करने के लिए दस दिन पहले भी पुनः प्रकाशित किया जाएगा।

[फा.सं. भाराराप्रा/13013/421/सीओ/08-09/जीसी-हैदराबाद (जडचेरला-कोटकटा) बीओटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th March, 2015

**S.O. 768(E).**— In exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways (collection of Fees by any person for the use of section of National Highway/permanent bridge/temporary bridge on National Highway) Rules, 1997, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 412(E), dated the 06<sup>th</sup> February, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:—

In the said notification, under the SCHEDULE

In place of existing Para	Shall be substituted as
i) The Concessionaire shall collect and retain the fees on category of vehicles specified in column (2) of the Table below, for the use of the said section at the rate of base fee specified in Column (3) of the said Table.	i) The Concessionaire shall collect and retain the fees on category of vehicles specified in column (2) of the Table below, for the use of the said section at the rate of base fee specified in Column (3) of the said Table for a length of 55.74 Km.
ii) The fee shall be collected at the Toll Plaza at Km.114.087	ii) The fee shall be collected at the Toll Plaza at Km.114.087 for a length of 55.74 Km.
Notes (8) The Concessionaire shall publish substance of this notification in two local newspapers (one of which shall be vernacular language), which shall also state the date of commercial operation as per the provisions of this notification, at least ten days prior to the date of commercial operation and such substance shall also be repeated, ten days prior to giving effect to revision of fee in accordance with this notification.	Notes (8) The Concessionaire shall publish substance of this notification and scheme of discount to frequent and local users as provided in the Concession Agreement in two local newspapers (one of which shall be vernacular language), which shall also state the date of commercial operation as per the provisions of this notification, at least ten days prior to the date of commercial operation and such substance shall also be repeated, ten days prior to giving effect to revision of fee in accordance with this notification.

[F. No. NHAI/13013/421/CO/08-09/GC-Hyderabad (Jadcherla-Kotakatta) BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy